न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 13/2017 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2017/00262

उनवान

1. भगवान सिंह } पुत्रान रामस्वरूप
2. फूलन }
3. गोपाल पुत्र नेक सिंह } अकवाम जाटव निवासीयान ग्राम कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. चनुआ पुत्र बुद्धीराम
5. भरतलाल पुत्र टेकरा

........................अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

................................रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 06.10.2017 प्र.संख्या 65/2017 उनवानी भगवान सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री अर्जुन सिंह उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक— 29.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बयाना ने आराजी खसरा नंबर 1346 किस्म सिवायचक भूमि में से 90 मीटर रकवा पर अपीलांट द्वारा पक्का निर्माण करने पर अतिक्रमी मानते हुए विवादित आरजी से बेदखल करते हुए, शास्ति आरोपित की गयी।

जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.10.2017 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अपीलार्थीगण को अतिक्रमी माना जा सके। अपीलार्थीगण को जिस भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया है वह अपीलाण्ट स्वयं की भूमि है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश, अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा नौहरा हेतु दिनांक 03.12.1982 को पट्टा पर दी गयी थी। अपीलाण्ट उक्त विवादित आराजी पर तभी से नौहरा बनाकर रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित स्थल के सम्बन्ध में एक दीवानी वाद सिविल न्यायाधीश बयाना की अदालत में लम्बित है। उक्त दावे में सिविल न्यायाधीश बयाना से नायब तहसीलदार व पटवारी हल्का को पाबन्द किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित आराजी, बंजड सिवायक भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट ने अतिक्रमण किया हुआ है। इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से साबित होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, पूर्णरूपेण सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट विवादित भूमि बाबत् स्वयं के पक्ष में, ग्राम पंचायत का पट्टा बताते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि बंजड सिवायचक दर्ज है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 ''प्रविष्टियों के रूप में अनुमान'' के तहत यह अंकन तब तक सही माना जावेगा, जब तक कि इसे गलत सिद्ध नही किया जावें। अपीलाधीन प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जो इस अंकन को गलत सिद्ध करें। अपीलाण्ट का यह कथन कि ग्राम पंचायत कनावर द्वारा विवादित भूमि उन्हें नौहरा बनाने हेतु पट्टा किया था, अर्थहीन है। नियमानुसार पंचायत को सिवायचक भूमि में पट्टा जारी करने के अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कथित पट्टे में खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण, उक्त पट्टा अपीलाधीन भूमि का ही है यह तथ्य भी सिद्ध नहीं माना जा सकता।

6. जहॉ तक अपीलाण्ट का विवादित भूखण्ड के संबंध में दीवानी वाद, सिविल न्यायालय में विचाराधीन रहने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त वाद बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 259 में प्रावधान हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले तथा प्रावधित किसी मामले के विषय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी व्यवहार न्यायालय में नहीं हागी या प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रस्तुत प्रकरण भू राजस्व अधिनियम अंतर्गत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 06.10.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर